

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

पुरुषों के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2016 तथा महिलाओं के लिये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा की प्रक्रिया।

सूचना/विज्ञप्ति

संख्या:पीआरपीबी-अनु-6-प-18/2016

दिनांक:जून १०, 2017

- 1- पुरुषों के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 2400, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के 210 एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 97 रिक्त पदों को भरने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।
- 2- इसी प्रकार महिलाओं के लिये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 600 रिक्त पदों को भरने के लिए महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।
- 3- पुरुषों के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत 5,42,124 तथा महिलाओं के लिये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती-2016 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत 88,802 अर्थात् कुल 6,30,926 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किये गये हैं।
- 4- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर संचालित हो रही है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराने की आवश्यकता उद्भूत हुई है। प्रत्येक पालियों के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे जिनमें समानता न होने की सम्भावना के दृष्टिगत विभिन्न पालियों में इन अलग-अलग प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रासामान्यीकरण (Normalaization) "MAH-MBA/MMS CET 2015" में प्रयुक्त Standardized Equi-percentile method द्वारा किया जायेगा।

5- ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र की संरचना निम्नवत होगी:-

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	सामान्य हिन्दी	40	100	2.00 घण्टा Composite Time
2	मूलविधि / संविधान	24	100	
	सामान्य ज्ञान	16		
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	40	100	
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	40	100	
प्रत्येक प्रश्न 2.50 अंक		कुल प्रश्न-160	कुल अंक-400	2.00 घण्टा

6- प्रश्नपत्र में कुल 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये जायेंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ऑनलाइन उत्तर भरें।

7- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.50 अंक निर्धारित है तथा किसी गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जायेगी।

8- किसी विषय में कोई प्रश्न निरस्त होने की स्थिति में मूल्यांकन की प्रक्रिया रिट याचिका संख्या: 2669/2009 (एम0बी0)-पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

9- प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

10- प्रश्नपत्र में सामान्य हिन्दी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी प्रश्न को दूसरी इच्छित भाषा में लागिन स्क्रीन पर सेलेक्ट कर देखा जा सकेगा। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

11- परीक्षा कक्ष में लाग टेबुल, कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक्स गैजेट्स का प्रयोग वर्जित होगा।

12- ऑनलाइन लिखित परीक्षा दिनांक 17 जुलाई, 2017 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक होगी।

13- ऑनलाइन लिखित परीक्षा के अभ्यास हेतु बोर्ड की वेबसाइ www.prb.gov.in पर दिनांक 01-07-2017 से 31-07-2017 तक Mock Test Process उपलब्ध रहेगा।

14- अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का सन्देश sms के माध्यम से भी उसके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर भेजा जायेगा। अभ्यर्थी बोर्ड की

वेबसाइट www.prb.gov.in पर अपने आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा Mock Test का अभ्यास भी कर सकते हैं।

15- ऑनलाइन लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दाखिल किये जाने हेतु **Candidate Interface** उपलब्ध होगा, जिस पर आपत्तियां दर्ज करायी जा सकेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर **Log in** करना होगा।

16- यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

28/6/17

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।